

मा0 सिंचाई मंत्री जी के निर्देशानुसार सिल्ट सफाई के भौतिक सत्यापन हेतु दिनांक :
25.11.2017 को बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर बाराबंकी के अन्तर्गत मसौली राजबहा के

निरीक्षणोपरान्त आख्या

निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :-

1. श्री आर0के0 जैन, अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् मण्डल सिंचाई कार्य, लखनऊ।
2. श्री सुप्रभात सिंह, अधिशासी अभियन्ता, बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर, बाराबंकी।
3. श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता-प्रथम, बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर बाराबंकी।
4. श्री धनन्जय तिवारी-जूनियर इंजीनियर बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर बाराबंकी।

दिनांक 25.11.2017 को शारदा सहायक संगठन के अन्तर्गत बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर बाराबंकी की मसौली राजबहा में कराये गये सिल्ट सफाई के कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। मौके पर स्वीकृत लम्बछिन्नक, प्राक्कलन एवं ई-टेण्डर के माध्यम से आमंत्रित अनुबन्ध की प्रति मूलरूप में अवलोकित की गयी। मसौली राजबहा बाराबंकी शाखा के किमी0 20.700 बायें बैंक से निकली है एवं जिसका हेड डिस्चार्ज 68.80 क्यूसेक है।

राजबहा की कुल लम्बाई 17.000 किमी0 है जिसमें किमी0 14.000 से किमी0 17.000 तक काफी Low Land Area एवं शहरीकरण आबादी के कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं रह गयी है। स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार सिल्ट सफाई का कार्य किमी0 0.000 से किमी0 14.000 तक प्रस्तावित है। इस राजबहा के 03 विभिन्न रीचों पर निरीक्षण किया गया। इस नहर का संशोधित लम्ब-छिन्नक अनुमोदन हेतु आदेश दिया गया।

1. किमी0 0.000 हेड पर -

सिल्ट सफाई का कार्य सन्तोषजनक पाया गया। हेड के पास बाराबंकी शाखा के समानान्तरण चलने वाली सीपेज ड्रेन जो नहर में पाइप के माध्यम से क्रॉस कराई गई है वहाँ बेड लेविल से ऊपर मिट्टी पायी गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि पाइप बेड लेविल के ऊपर है जो Technically गलत है एवं पाइप के अपस्ट्रीम में ठेक बन जाएगा। सीपेज ड्रेन के पाइप को बेड लेबल से नीचे कराते हुए बेड को समतल कराने हेतु निर्देशित किया गया। मौके पर जूनियर इंजीनियर द्वारा लेविल बुक प्रस्तुत नहीं की गयी। जूनियर इंजीनियर श्री धनन्जय तिवारी को 3 दिनों के अन्दर लेविल बुक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

2. किमी0 3.100 वी.आर.बी.-


पुल के नीचे फ्लोर पर सिल्ट नहीं निकाली हुई पायी गई तत्काल सभी पुलों को साफ कराने हेतु निर्देशित किया गया। सिल्ट सफाई के पश्चात बेड की चौड़ाई का सत्यापन करने हेतु किमी0 2.700 से किमी0 2.900 के बीच 07 स्थानों पर तली नापी गई जिसमें अधिकतर चैनेजों पर तली परिकल्पित चौड़ाई 5.00 मीटर पायी गयी परन्तु एक-दो स्थानों पर तली की चौड़ाई 4.88-4.90 मीटर पायी गई

जिसे तत्काल ठीक कराने हेतु निर्देशित किया गया। वी0आर0बी0 के डाउनस्ट्रीम में मशीन द्वारा डाउनस्ट्रीम फ्लोर को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसको ठीक कराने के निर्देश दिये गये।

3. किमी0 6.200 वी.आर.बी.-

सिल्ट सफाई का कार्य ठीक पाया गया एवं निकाली गई सिल्ट की गहराई स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप पायी गई। डौले पर डाली गई सिल्ट बेतरतीब थी जिसे तत्काल ड्रेसिंग कराते हुए ठीक कराने के निर्देश दिये गये। दोनों बैंकों पर बैंक लेवल से ऊपर मिट्टी पड़ी हुई थी, जिसके उचित डिस्पोजल के निर्देश दिये गये।


नहर पर कहीं भी बेड-बार नहीं बने थे एवं वी0आर0बी0 की पैरापेट क्षतिग्रस्त थी। नये बेड-बार्स एवं क्षतिग्रस्त पैरापेट को ठीक कराने के निर्देश दिये गये।


(अजय कुमार सिंह) 27/11/17
प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0

पत्रांक:- सी-413 / प्र0अ0(परि0 एवं नियो0) / दिनांक- 27/11/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (मध्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ।


(अजय कुमार सिंह) 27/11/2017
प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0

